अंतराल

12073

भाग 2

कक्षा 12 के लिए हिंदी (ऐच्छिक) की पूरक पाठ्यपुस्तक

© NCERT not to be republished

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING

Reprint 2024-25

12073 – अंतराल
कक्षा 12 के लिए पाठ्यपुस्तक

ISBN 81-7450-708-6

प्रथम संस्करण
अप्रैल 2007 चैत्र 1929

पुनर्मुद्रण
नवंबर 2007, दिसंबर 2009, नवंबर 2010, जनवरी 2012, मार्च 2013, नवंबर 2013, नवंबर 2014, दिसंबर 2016, नवंबर 2017, दिसंबर 2018, सितंबर 2019, जुलाई 2021, दिसंबर 2021

संशोधित संस्करण
अक्तूबर 2022 कार्तिक 1944

पुनर्मुद्रण
मार्च 2024 चैत्र 1946

PD 50T SU

© ***राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, 2007, 2022***

₹ **35.00**

एन.सी.ई.आर.टी. वाटरमार्क 80 जी.एस.एम. पेपर पर मुद्रित।

प्रकाशन प्रभाग में सचिव, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, श्री अरविंद मार्ग, नयी दिल्ली 110 016 द्वारा प्रकाशित तथा श्री वृंदावन ग्राफ़िक्स प्रा. लि., ई-34, सैक्टर-7, नोएडा 201301 (उ.प्र.) द्वारा मुद्रित।

सर्वाधिकार सुरक्षित

- प्रकाशक की पूर्व अनुमति के बिना इस प्रकाशन के किसी भाग को छापना तथा इलैक्ट्रॉनिकी, मशीनी, फोटोप्रतिलिपि, रिकॉर्डिंग अथवा किसी अन्य विधि से पुन: प्रयोग पद्धति द्वारा उसका संग्रहण अथवा प्रसारण वर्जित है।
- इस पुस्तक की बिक्री इस शर्त के साथ की गई है कि प्रकाशक की पूर्व अनुमति के बिना यह पुस्तक अपने मूल आवरण अथवा जिल्द के अलावा किसी अन्य प्रकार से व्यापार द्वारा उधारी पर, पुनर्विक्रय या किराए पर न दी जाएगी, न बेची जाएगी।
- इस प्रकाशन का सही मूल्य इस पृष्ठ पर मुद्रित है। रबड़ की मुहर अथवा चिपकाई गई पर्ची (स्टिकर) या किसी अन्य विधि द्वारा अंकित कोई भी संशोधित मूल्य गलत है तथा मान्य नहीं होगा।

एनसीईआरटी के प्रकाशन प्रभाग के कार्यालय

एन.सी.ई.आर.टी. कैंपस
श्री अरविंद मार्ग
नयी दिल्ली 110 016 फोन : 011-26562708

108, 100 फीट रोड
हेली एक्सटेंशन, होस्डेकेरे
बनाशंकरी III इस्टेज
बैंगलुरु 560 085 फोन : 080-26725740

नवजीवन ट्रस्ट भवन
डाकघर नवजीवन
अहमदाबाद 380 014 फोन : 079-27541446

सी.डब्ल्यू.सी. कैंपस
निकट: धनकल बस स्टॉप पनिहटी
कोलकाता 700 114 फोन : 033-25530454

सी.डब्ल्यू.सी. कॉम्प्लैक्स
मालीगाँव
गुवाहाटी 781 021 फोन : 0361-2674869

प्रकाशन सहयोग

अध्यक्ष, प्रकाशन प्रभाग : *अनूप कुमार राजपूत*
मुख्य संपादक : *श्वेता उप्पल*
मुख्य उत्पादन अधिकारी : *अरुण चितकारा*
मुख्य व्यापार प्रबंधक (प्रभारी) : *अमिताभ कुमार*
संपादक : *मीरा कांत*
सहायक उत्पादन अधिकारी : *सुनील कुमार*

आवरण एवं सज्जा
जोएल गिल

चित्र
जोएल गिल
भूषण शालिग्राम

© NCERT not to be republished

आमुख

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 सुझाती है कि बच्चों के स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। यह सिद्धांत किताबी ज्ञान की उस विरासत के विपरीत है जिसके प्रभाववश हमारी व्यवस्था आज तक स्कूल और घर के बीच अंतराल बनाए हुए है। नयी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या पर आधारित पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकें इस बुनियादी विचार पर अमल करने का प्रयास हैं। इस प्रयास में हर विषय को एक मज़बूत दीवार से घेर देने और जानकारी को रटा देने की प्रवृत्ति का विरोध शामिल है। आशा है कि ये कदम हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) में वर्णित बाल-केंद्रित व्यवस्था की दिशा में काफ़ी दूर तक ले जाएँगे।

इस प्रयत्न की सफलता अब इस बात पर निर्भर है कि स्कूलों के प्राचार्य और अध्यापक बच्चों को कल्पनाशील गतिविधियों और सवालों की मदद से सीखने और सीखने के दौरान अपने अनुभवों पर विचार करने का कितना अवसर देते हैं। हमें यह मानना होगा कि यदि जगह, समय और आज़ादी दी जाए तो बच्चे बड़ों द्वारा सौंपी गई सूचना-सामग्री से जुड़कर और जूझकर नए ज्ञान का सृजन करते हैं। शिक्षा के विविध साधनों एवं स्रोतों की अनदेखी किए जाने का प्रमुख कारण पाठ्यपुस्तक को परीक्षा का एकमात्र आधार बनाने की प्रवृत्ति है। सर्जना और पहल को विकसित करने के लिए ज़रूरी है कि हम बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में पूरा भागीदार मानें और बनाएँ, उन्हें ज्ञान की निर्धारित खुराक का ग्राहक मानना छोड़ दें।

ये उद्देश्य स्कूल की दैनिक ज़िंदगी और कार्यशैली में काफ़ी फेरबदल की माँग करते हैं। दैनिक समय-सारणी में लचीलापन उतना ही ज़रूरी है, जितना वार्षिक कैलेंडर के अमल में चुस्ती, जिससे शिक्षण के लिए नियत दिनों की संख्या हकीकत बन सके। शिक्षण और मूल्यांकन की विधियाँ भी इस बात को तय करेंगी कि यह पाठ्यपुस्तक स्कूल में बच्चों के जीवन को मानसिक दबाव तथा बोरियत की जगह खुशी का अनुभव बनाने में कितनी प्रभावी सिद्ध होती है। बोझ की समस्या से निपटने के लिए पाठ्यक्रम निर्माताओं ने विभिन्न चरणों में ज्ञान का पुनर्निर्धारण करते समय बच्चों के मनोविज्ञान एवं अध्यापन के लिए उपलब्ध समय का ध्यान रखने की पहले से अधिक सचेत कोशिश की है। इस कोशिश को और गहराने के यत्न में यह पाठ्यपुस्तक सोच-विचार एवं विस्मय, छोटे समूहों में बातचीत एवं बहस और हाथ से की जाने वाली गतिविधियों को प्राथमिकता देती है।

© NCERT not to be republished

एन.सी.ई.आर.टी. इस पुस्तक की रचना के लिए बनाई गई पाठ्यपुस्तक निर्माण समिति के परिश्रम के लिए कृतज्ञता व्यक्त करती है। परिषद् भाषा सलाहकार समिति के अध्यक्ष प्रोफ़ेसर नामवर सिंह और इस पुस्तक के मुख्य सलाहकार प्रोफ़ेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल की विशेष आभारी है। इस पाठ्यपुस्तक के विकास में कई शिक्षकों ने योगदान किया, इस योगदान को संभव बनाने के लिए हम उनके प्राचार्यों के आभारी हैं। हम उन सभी संस्थाओं और संगठनों के प्रति कृतज्ञ हैं, जिन्होंने अपने संसाधनों, सामग्री तथा सहयोगियों की मदद लेने में हमें उदारतापूर्वक सहयोग दिया। हम माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रोफ़ेसर मृणाल मीरी एवं प्रोफ़ेसर जी.पी. देशपांडे की अध्यक्षता में गठित निगरानी समिति (मॉनिटरिंग कमेटी) के सदस्यों को अपना मूल्यवान समय और सहयोग देने के लिए धन्यवाद देते हैं। व्यवस्थागत सुधारों और अपने प्रकाशनों में निरंतर निखार लाने के प्रति समर्पित एन.सी.ई.आर.टी टिप्पणियों एवं सुझावों का स्वागत करेगी जिनसे भावी संशोधनों में मदद ली जा सके।

निदेशक

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

नयी दिल्ली

20 नवंबर 2006

© NCERT not to be republished

Reprint 2024-25

पाठ्यपुस्तकों में पाठ्य सामग्री का पुनर्संयोजन

कोविड–19 महामारी को देखते हुए, विद्यार्थियों के ऊपर से पाठ्य सामग्री का बोझ कम करना अनिवार्य है। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020* में भी विद्यार्थियों के लिए पाठ्य सामग्री का बोझ कम करने और रचनात्मक नज़रिए से अनुभवात्मक अधिगम के अवसर प्रदान करने पर ज़ोर दिया गया है। इस पृष्ठभूमि में, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने सभी कक्षाओं में पाठ्यपुस्तकों को पुनर्संयोजित करने की शुरुआत की है। इस प्रक्रिया में रा.शै.अ.प्र.प. द्वारा पहले से ही विकसित कक्षावार सीखने के प्रतिफलों को ध्यान में रखा गया है।

पाठ्य सामग्रियों के पुनर्संयोजन में निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखा गया है—

- स्कूली शिक्षा के विभिन्न स्तरों की पाठ्यपुस्तकों एवं पूरक पाठ्यपुस्तकों में समान विधाओं का समायोजन;
- भाषायी दक्षता के लिए सीखने के प्रतिफलों की प्राप्ति संबंधी विषय वस्तु की उपस्थिति;
- कोविड महामारी से पैदा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम–बोझ और परीक्षा तनाव को कम करना;
- विद्यार्थियों के लिए सहज रूप से सुलभ पाठ्य सामग्री का होना, जिसे शिक्षकों के अधिक हस्तक्षेप के बिना, वे खुद से या सहपाठियों के साथ पारस्परिक रूप से सीख सकते हों;
- वर्तमान संदर्भ में अप्रासंगिक सामग्री का होना।

वर्तमान संस्करण, ऊपर दिए गए परिवर्तनों को शामिल करते हुए तैयार किया गया पुनर्संयोजित संस्करण है।

© NCERT not to be republished

© NCERT not to be republished

पाठ्यपुस्तक निर्माण समिति

अध्यक्ष, भाषा सलाहकार समिति

नामवर सिंह, *पूर्व अध्यक्ष,* भारतीय भाषा केंद्र, जे.एन.यू., नयी दिल्ली

मुख्य सलाहकार

पुरुषोत्तम अग्रवाल, *पूर्व प्रोफ़ेसर,* भारतीय भाषा केंद्र, जे.एन.यू., नयी दिल्ली

मुख्य समन्वयक

रामजन्म शर्मा, *पूर्व प्रोफ़ेसर* एवं *अध्यक्ष,* भाषा शिक्षा विभाग, एन.सी.ई.आर.टी., नयी दिल्ली

सदस्य

कमला प्रसाद, *पूर्व उपाध्यक्ष,* केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा

किरन गुप्ता, *पी.जी.टी.* (हिंदी), केंद्रीय विद्यालय, आई.एन.ए., नयी दिल्ली

चंद्रकांत देवताले, *कवि* एवं *साहित्यकार,* उज्जैन, मध्य प्रदेश

नज़ीर मोहम्मद, *प्रोफ़ेसर* (अवकाश प्राप्त), अलीगढ़ मुस्लिम युनिवर्सिटी, अलीगढ़

नीलम शर्मा, *पी.जी.टी.* (हिंदी), केंद्रीय विद्यालय, कैंट, नारायणा, नयी दिल्ली

प्रेमलता जैन, *रीडर,* अरविंद कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, नयी दिल्ली

मंजुरानी सिंह, *पी.जी.टी.* (हिंदी), केंद्रीय विद्यालय, जे.एन.यू. परिसर, नयी दिल्ली

मंजुला माथुर, *प्रोफ़ेसर, प्रारंभिक शिक्षा विभाग,* एन.सी.ई.आर.टी., नयी दिल्ली

महेंद्र पाल शर्मा, *प्रोफ़ेसर* एवं *अध्यक्ष,* हिंदी विभाग, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नयी दिल्ली

रचना भाटिया, *प्रवक्ता,* राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, नयी दिल्ली

रतन कुमार पांडेय, *अध्यक्ष,* हिंदी विभाग, मुंबई विश्वविद्यालय, मुंबई

रमेश तिवारी, *प्रवक्ता,* कॉलेज ऑफ़ वोकेशनल स्टडीज़, दिल्ली विश्वविद्यालय, नयी दिल्ली

रोहिताश्व, *प्रोफ़ेसर* एवं *डीन,* गोवा विश्वविद्यालय, गोवा

सत्यकाम, *प्रोफ़ेसर,* मानविकी विद्यापीठ, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नयी दिल्ली

सदस्य-समन्वयक

लालचंद राम, *प्रोफ़ेसर,* भाषा शिक्षा विभाग, एन.सी.ई.आर.टी., नयी दिल्ली

© NCERT not to be republished

आभार

इस पुस्तक के निर्माण में अकादमिक सहयोग के लिए परिषद् निगरानी समिति द्वारा नामित श्री अशोक वाजपेयी और सुश्री शोभा वाजपेयी की आभारी है। पुस्तक–निर्माण में अकादमिक सहयोग के लिए हम विशेष आमंत्रित प्रोफ़ेसर दिलीप सिंह, *कुलसचिव*, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, चेन्नई का आभार व्यक्त करते हैं।

इस पुस्तक में रचनाएँ शामिल करने के लिए जिन रचनाकारों तथा उनके परिजनों से अनुमति मिली है, हम उनके प्रति कृतज्ञ हैं।

पुस्तक के निर्माण में तकनीकी सहयोग के लिए हम कंप्यूटर स्टेशन (भाषा विभाग) के *प्रभारी* परशराम कौशिक; *कॉपी एडीटर* दिग्विजय सिंह अत्री और सुप्रिया गुप्ता; *प्रूफ़ रीडर* कंचन शर्मा, अनामिका गोविल, दुर्गा देवी, करुणा और सविता तथा *डी.टी.पी. ऑपरेटर* जय प्रकाश राय, अरविंद शर्मा और सचिन कुमार के आभारी हैं।

परिषद् इस संस्करण के पुनर्संयोजन के लिए पाठ्यक्रमों, पाठ्यपुस्तकों एवं विषय सामग्री के विश्लेषण हेतु दिए गए महत्वपूर्ण सहयोग के लिए पाठ्यचर्या समूह द्वारा गठित की गई समीक्षा समिति में भाषा शिक्षा विभाग के हिंदी संकाय सदस्यों तथा सी.बी.एस.ई. के प्रतिनिधियों के प्रति आभार व्यक्त करती है।

© NCERT not to be republished

यह पुस्तक

परिषद् पाठ्यपुस्तक निर्माण के साथ-साथ पूरक पठन के लिए भी पुस्तकों का निर्माण करती है। पाठ्यपुस्तक की अपनी सीमाएँ होती हैं। साहित्य की प्रमुख विधाओं की सभी प्रमुख रचनाओं को पाठ्यपुस्तक में समेटना संभव नहीं होता इसलिए विशिष्ट रचना या सामग्री, जो विद्यार्थी की उम्र, रुचि और योग्यता के अनुरूप हो, पूरक पठन की पुस्तक में दी जाती है। पूरक पठन की पुस्तक का उद्देश्य ही है पाठ्यपुस्तक के अधूरेपन को दूर करना, उसे पूर्ण बनाना। द्रुत पठन के लिए भी विद्यार्थी पूरक पठन की पुस्तक का उपयोग कर सकते हैं। इससे पहले पूरक पुस्तक के रूप में किसी एक विधा की पुस्तक ही निर्धारित की जाती थी किंतु व्यावहारिकता की दृष्टि से और पाठ्यचर्या व पाठ्यक्रम की मूल अवधारणा के मुताबिक इस बार कई विधाओं को एक साथ पूरक पठन की पुस्तक में समाहित किया गया है, ताकि विद्यार्थी ज़्यादा साहित्यिक विधाओं से परिचित हो सकें।

12वीं कक्षा के विद्यार्थियों का भाषा-ज्ञान और उनकी साहित्यक समझ एक उचित सीमा तक पहुँच चुकी होती है। सामाजिक सरोकारों और अपने परिवेश के प्रति भी 17-18 वर्ष के विद्यार्थी पूरी तरह जागरूक होते हैं। 12वीं कक्षा की पूरक पठन की यह पुस्तक **अंतराल भाग 2** तैयार करते समय इन बातों का ध्यान रखा गया है। इस पुस्तक में जो चार पाठ संकलित हैं उन चारों के चयन के पीछे उनकी साहित्यिकता का स्तर तो निर्णायक है ही, यह बात भी महत्त्वपूर्ण है कि इन सब से भारत के अलग-अलग अंचलों की जीवन पद्धति और संबंधित भौगोलिक क्षेत्र की समस्याओं तथा जनजीवन की विशिष्टताओं पर प्रचुर प्रकाश पड़ता है।

सूरदास की झोंपड़ी प्रेमचंद के उपन्यास **रंगभूमि** का वह अंश है जिसमें दलित व शोषित जनों की व्यथा अंकित है। सत्ता और पूँजी के गठजोड़ से सूरदास के झोंपड़ें में आग लगा दी जाती है। ऐसे समय में गाँव का वह पूरा समूह जो सूरदास के विरोध में है एकजुट होकर सामने आता है। इस पाठ की सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें सूरदास जैसे लाचार और बेबस व्यक्ति की जिजीविषा एवं उसके संघर्ष का अनूठा चित्रण हुआ है। यह पाठ भारत के पूर्वी अंचल का अच्छा चित्र खींचता है।

बिस्कोहर की माटी विश्वनाथ त्रिपाठी की आत्मकथा **नंगातलाई का गाँव** का एक अंश है। यह अंश गाँव-स्मृति के परिप्रेक्ष्य में रचा गया है। इसमें सिर्फ़ नॉस्टेल्जिया नहीं है, प्रकृति के साथ मनुष्य के संबंधों की मार्मिक पड़ताल भी निहित है। जीवन की स्थितियाँ ऋतुओं के साथ कैसे बदलती हैं और प्रकृति के प्रकोपों को ग्रामीण जीवन किस तरह झेलता है तथा उसी प्रकृति का वह

© NCERT not to be republished

किस तरह सहज उपयोग करता है और उससे कितना अटूट प्रेम करता है—ये सारे भाव मिलकर इस पाठांश की अद्‌भुत अभिव्यंजना को प्रमाणित करते हैं। एक प्रकार से देखा जाए तो यह पाठ ग्रामीण जीवन के रूप, रस और गंध को उकेरने वाला एक मार्मिक पाठ है।

चौथा पाठ **अपना मालवा** समाचार-पत्र **जनसत्ता** में प्रकाशित प्रभाष जोशी के आलेख की प्रस्तुति है जिसमें मालवा क्षेत्र का जनजीवन मुखर होकर सामने आया है। यह पाठ जल और पर्यावरण संबंधी समस्याओं को केंद्र में रखे हुए है। कितने जीवट के साथ इस क्षेत्र के लोग प्राकृतिक आपदाओं का सामना करते हैं, उसका प्रभावशाली चित्र इस पाठ में है। साथ ही यह पाठ उस तकनीकी और प्रौद्योगिकी विकास पर प्रहार करता है जिसके चलते ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों की अस्मिता नष्ट हो रही है।

पूरक पठन की इस पुस्तक में इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि पाठों की संरचना और उनकी भाषा बोझिल न हो। सरलता और सहजता भाषा की बोधगम्यता की सबसे बड़ी कसौटी है। यह मानकर इन पाठों का चयन किया गया है। इन सभी पाठों में बोलचाल की हिंदी का सुंदर प्रयोग हुआ है। ठस गद्य की जगह ये सभी पाठ संवादों के इर्द-गिर्द बुने हुए हैं जिनसे इनकी पठनीयता और संप्रेषणीयता दोनों स्वतः बढ़ जाती है। इन पाठों में बोलियों से संपृक्त हिंदी का वह रूप भी सामने आता है जिसका प्रयोग आमजन करते हैं। कुल मिलाकर ये सभी पाठ एक पूरक पुस्तक के आदर्श पर खरे उतरते हैं। ऐसे पाठ जिन्हें स्वतः पढ़ा जा सके और उनके साथ अपनी समीपता का संबंध जोड़ा जा सके।

पाठों के अंत में शब्दार्थ और टिप्पणी के साथ-साथ प्रश्न-अभ्यास एवं योग्यता-विस्तार दिए गए हैं। इनका उद्देश्य है कि अध्ययन करते समय विद्यार्थियों के समक्ष यदि भाषा अथवा कथ्य संबंधी कोई समस्या उपस्थित हो तो ये उसका तत्काल समाधान प्रस्तुत कर सकें।

पुस्तक के अंत में रचनाकारों का संक्षिप्त परिचय भी दिया गया है, ताकि विद्यार्थी अगर रुचि लें तो उनकी अन्य रचनाएँ खोजकर पढ़ सकें और रचनाकार के बारे में भी जानकारी हासिल कर सकें।

आशा है विद्यार्थियों की भाषिक तथा साहित्यिक रुचियों के विकास की दृष्टि से पूरक पठन की यह पुस्तक उपयोगी सिद्ध होगी। विद्यार्थी, पुस्तक और अध्यापक के बीच एक संवादात्मक रिश्ता कायम हो, यह पुस्तक इस दिशा में एक प्रयास है। यह प्रयास निरंतर बेहतर होता रहे, इसके लिए आपकी प्रतिक्रिया एवं सुझाव अपेक्षित हैं। ❐

Reprint 2024-25

© NCERT not to be republished

विषय–सूची

आमुख *iii*

पाठ्यपुस्तकों में पाठ्य सामग्री का पुनर्संयोजन *v*

यह पुस्तक *ix*

1

सूरदास की झोंपड़ी 1
प्रेमचंद

2

बिस्कोहर की माटी 12
विश्वनाथ त्रिपाठी

3

अपना मालवा–खाऊ-उजाड़ू सभ्यता में 21
प्रभाष जोशी

लेखक परिचय 28

© NCERT not to be republished

भारत का संविधान

उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक [1]**[संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य]** बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को :

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक **न्याय,**

विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म

और उपासना की **स्वतंत्रता,**

प्रतिष्ठा और अवसर की **समता**

प्राप्त कराने के लिए,

तथा उन **सब में**

व्यक्ति की गरिमा और [2]**[राष्ट्र की एकता**

और अखंडता] सुनिश्चित करने वाली **बंधुता**

बढ़ाने के लिए

दृढ़संकल्प होकर **अपनी इस संविधान सभा में** आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ई. को **एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।**

---

1. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 द्वारा (3.1.1977 से) ''प्रभुत्व-संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य'' के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 द्वारा (3.1.1977 से) ''राष्ट्र की एकता'' के स्थान पर प्रतिस्थापित।

© NCERT not to be republished